47

प्रेषक, संख्याः–257/VI(1)/2015–07(06)/2011

डा0 उमाकान्त पवांर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग देहरादून दिनांक 28 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में स्वीकृत पर्यटन ग्राम अगोडा (डोडीताल) हेतु पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–436/2–6–500(अगोडा)/2014–15, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी के कॉलम–2 में वर्णित भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना जिसकी कुल लागत ₹ 17.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त 20% धनराशि अर्थात कुल ₹ 3.40 लाख **(रूपये तीन लाख चालीस हजार** मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आगणन की लागत	भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश	अवमुक्त की जा रही धनराशि	
1	2	3	4	5	
				RTGS की दिनांक	धनराशि
1	Software work plan under CBSP (Capacity Building for Service Providers Scheme) of Ministry of Tourism, Government of India for the site: Development of Rural Tourism in Agora Village (Dodital), District Uttrakashi, Uttarakhand.	17.00	No.4-RT(74)/2004-Software, Dated 31-12-2014	31-12-14 (प्रथम किस्त 20%)	3.40
	Total	**17.00**			**3.40**

(i) योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के स्वीकृत सम्बन्धी शासनादेश में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

...2

(vii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(viii) उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

(ix) कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xi) धनराशि व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–26, लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–01–पर्यटक अवसंरचना–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पोषित योजनाएं–01–डेस्टीनेशन्स एवं सर्किट्स हेतु आवस्थापना विकास–24–वृहत् निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–813/XXVII(2)/2014, दिनांक 24 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.1503260813...द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्याः–257/VI(1)/2015–07(06)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव।